प्रकीर्ण वाद संख्या २४०/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ३५७/२०१८)
श्रीमती फूलवती आदि बनाम अक्षय आदि
१६.१२.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती फूलवती देवी, मानसिंह, व गोविन्द दास द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा लोक अदालत में पारित निर्णय/आदेश के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा प्रतिकर धनराशि जमा कर दी गयी है। न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की गयी है न ही कोई स्थगन आदेश है। अतः प्रार्थीगण ने याचना की है कि न्यायाधिकरण के आदेशानुसार उन्हें धनराशि दिलाए जाने की कृपा की जाए। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थिया श्रीमती फूलवती का शपथपत्र ४सी२, अपने-अपने आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थीगण मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा एम.ए.सी.पी. सं. ३५७/२०१८ श्रीमती फूलवती आदि बनाम अक्षय कुमार आदि, प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावलियों व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया फूलवती ने अपने शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया गया है कि न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की गयी है न ही कोई स्थगन आदेश है। मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०१.११.२०२० को ई लोक अदालत में सुलहनामा के आधार पर ₹ ४,२५,००० हेतु एवार्ड पारित किया गया है, जिस प्रतिकर धनराशि में से याचीगण सं. १ लगायत ३ को क्रमशः ५०, २५, व २५ प्रतिशत धनराशि प्राप्त होनी है तथा याचीगण सं. २ लगायत ३ को प्राप्त होने वाली प्रतिकर धनराशि में से २५-२५ प्रतिशत भाग की धनराशि उक्त प्रत्येक याचीगण को आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त होनी है तथा शेष ७५-७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि की ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जानी है। कार्यालय आख्या के अनुसार बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार **₹ ४,२५,०००** पी.एन.बी. झोकनबाग, झाँसी में जमा होने का विवरण दिया गया है। प्रार्थीगण ने अपने-अपने बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं। अतः मेरे विचार से प्रार्थीगण प्रकरण में जमाशुदा उपरोक्त धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ३५७/२०१८ (प्रकीर्ण वाद सं. २४०/२०२० श्रीमती फूलवती आदि बनाम अक्षय आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि मय अर्जित ब्याज को प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant/ petitioner	**Amount in ₹**	**+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount**	**Mode of Disbursment**	**Bank Account Number**	**Bank**	**IFSC Code**
1. Smt. Phoolwati	159375	38	Annuity for 3 Years	___	Any Nationalized Bank	____
1. Smt. Phoolwati	53125	12	Elect. Mode RTGS/NEFT	2212001700100932	P.N.B. Jakhora Lalitpur, U.p.	PUNB0221200
2. Man Singh	79688	19	Annuity for 3 Years	------	Any Nationalized Bank	____
2. Man Singh	26562	6	Elect. Mode RTGS/NEFT	221200170099959	P.N.B. Jakhora Lalitpur, U.p.	PUNB0221200
3. Govind Das	79688	19	Annuity for 3 Years	------	Any Nationalized Bank	____
3. Govind Das	26562	6	Elect. Mode RTGS/NEFT	221200170099977	P.N.B. Jakhora Lalitpur, U.p.	PUNB0221200
Total	**425000**	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.23 15:37:31 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI